

>

Title: Introduction of the National Commission for Indian System of Medicine (Amendment) Bill, 2021.

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL):

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020.”

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन जी ।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I shall stand to oppose the introduction of the Bill in such a brazen manner because for the past few days, we have been demanding for the discussion on Pegasus... *which is concerning with the entire country.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप केवल बिल पर बोलिए ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, ... (व्यवधान) सदन के अंदर लोकतंत्र की ... *
की जा रही है ।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, अधीर रंजन जी गलत बोल रहे हैं । सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है । ... (व्यवधान) हमने चर्चा के लिए बीएसी में सब्जेक्ट तय किया था ।... (व्यवधान)

सभापति जी, यह सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी ।

... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairman Sir, the House is not in order. No Bill can be introduced in this situation. Democracy is being ... * in this House. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.